राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या मनो. कर 836 से 853/2014 ....जिला........सीकर...........................

उनवान– मैसर्स महाराजा केबल नेटवर्क, सीकर बनाम् 1. उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वा.क., जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.2014	एकलपीठ **श्री अमर सिंह,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 09.05.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीकर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 5(बी)(2) राज. मनो. एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 शास्ति धारा 13(3)(बी)(iii) के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 (अप्रैल 2006 से सितम्बर 2007 तक), के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.2013 द्वारा मनोरंजन कर, ब्याज एवं शास्ति की मांग अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलें मय स्थगन पेश करने पर, आवेदित मांग में से 50 प्रतिशत राशि को स्थगित कर दिया। उक्त संयुक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र वसूली पर रोक हेतु पेश किये गये है, जिनकी सारणी अनुसार राशि नीचे दर्शायी जा रही है :–	

अपील सं.	माह/वर्ष	क.नि.अ. द्वारा आरोपित मांग	स्थगन हेतु आवेदित राशि
836/14	अप्रैल, 06	11960/–	5980/–
837/14	मई, 06	11900/–	5950/–
838/14	जून, 06	11840/–	5980/–
839/14	जुलाई, 06	11780/–	5890/–
840/14	अगस्त, 06	11720/–	5860/–
841/14	सितम्बर, 06	11660/–	5830/–
842/14	अक्टूबर, 06	11600/–	5800/–
843/14	नवम्बर, 06	11540/–	5770/–
844/14	दिसम्बर, 06	11480/–	5740/–
845/14	जनवरी, 07	11420/–	5710/–
846/14	फरवरी, 07	11360/–	5680/–
847/14	मार्च, 07	11300/–	5650/–
848/14	अप्रैल, 07	11240/–	5710/–
849/14	मई, 07	11180/–	5590/–
850/14	जून, 07	11120/–	5560/–
851/14	जुलाई, 07	11060/–	5530/–
852/14	अगस्त, 07	11000/–	5500/–
853/14	सितम्बर, 07	10940/–	5470/–

लगातार.................2

 अपील संख्या मनो. कर 836 से 853/2014/सीकर

29.05.2014

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री श्याम पारीक ने कथन किया कि अपीलार्थी का व्यवसाय केबल टेलीविजन नेटवर्क की परिभाषा में नहीं आता है बल्कि उनका व्यवसाय एम.एस.ओ. की श्रेणी में आता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज व शास्ति में उपरोक्तानुसार कायम की गई माग राशिया विधि सम्मत नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी ने उपरोक्त सारणी अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित मांग में से 50 प्रतिशत राशि को स्थगित किया है। अतः शेष स्थगन जो सारणी अनुसार दिया गया है, की वसूली पर रोक लगाई जावें।

विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा द्वारा अपने तर्क में बताया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर तथ्यों के आधार पर मांग आरोपित की गयी है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी के रोक आवेदन में 50 प्रतिशत राशियों को स्थगित कर दिया गया है। जो विधि सम्मत है। अतः सारणी अनुसार शेष राशि पर रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिये गये तर्क, अपीलों के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह पीठ इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है लिहाजा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली पर रोक लगाने के प्रस्तुत आवेदन पत्रों को आंशिक स्वीकार करते हुए, उपरोक्त सारणी अनुसार सभी अपीलों में दर्शायी गई रोक आवेदन पत्रों में चाही गई स्थगन राशियों में से 4000/– रूपये की वसूली इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेगें। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जायेगा। उपरोक्त सारणी में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दर्शायी गयी स्थगन राशियों में से सभी में 4000/– रूपये कम करते हुए, शेष राशियों की वसूली योग्य होगी। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन (3) माह में अपीलों का गुणावगुण कर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(अमर सिंह)
सदस्य